रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240587 CG-DL-E-25112022-240587

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5273]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

## No. 5273]

## विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

का.आ. 5503(अ).—राष्ट्रपति, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

[फा. सं. ए-60011/44/2015-एलएपी (न्याय)]

एस. के. जी. रहाटे, सचिव

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

# (Department of Justice)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2022

**S.O.** 5503(E).—In exercise of the powers conferred under Clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the President is pleased to nominate Hon'ble Shri Justice Sanjay Kishan Kaul, Judge, Supreme Court of India, as Executive Chairman, National Legal Services Authority, with immediate effect.

[F. No. A-60011/44/2015-LAP(JUS.)]

S. K. G. RAHATE, Secy.

7868 GI/2022